भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2892

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

परिवारों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति

2892. श्रीमती जया बच्चनः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के परिवारों को नल के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल में टीडीएस (कुल घुले ठोस पदार्थ) का स्तर निर्धरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के परिवारों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को पानी सहित विभिन्न उत्पादों और सामग्रियों के लिए मानक निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) को चलाता है। एनआरडीडब्लूपी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि यदि पानी बीआईएस मानक (आईएस 10500-2012) के अनुसार जीवाणु संदूषण और अनुमत्य सीमा के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ (टीडीएस) सहित रासायनिक संदूषण से मुक्त है तो यह सुरक्षित है। इस मानक के अनुसार, टीडीएस की वांछनीय सीमा 500 मिलीग्राम/लीटर है जिसकी अधिकतम अनुमत्य सीमा 2000 मिलीग्राम/लीटर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) देश की शेष सभी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता के साथ कवर करने के लिए देश में सुरक्षित स्रोतों से नल जल आपूर्ति को बढ़ावा देता है। सुरक्षित स्रोतों से यह भी सुनिश्चित होता है कि कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) के स्तर अनुमत्य सीमाओं के अंदर हैं।